

सं0सं0-1/ज0अ0-03/2018- 10000 व०

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के राज्यादेश सं0-1056(1), दिनांक-25.09.2018 में कंडिका-13 के रूप में एवं आवंटनादेश सं0-48(1)ब0, दिनांक-25.09.2018 में कंडिका-11 के रूप में निम्न कंडिका अंकित पढ़ा जाय-

“राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।”

2- स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-1056(1), दिनांक-25.09.2018 तथा आवंटनादेश सं0-48(1)ब0, दिनांक-25.09.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3- राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

Q.11/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/ज0अ0-03/2018- 10000 व० /स्वा0, पटना, दिनांक- 25 / 01 / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:- विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, भागलपुर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Q.11/19

सरकार के विशेष सचिव